संख्याः 13-1/रा.भा/2013/उ.व.अ.सं/जबलपुर/भाग-।।/2558 दिनांक 10/03/2015

उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान
Tropical Forest Research Institute
(भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद्)
(Indian Council of Forestry Research and Education)

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय)
(An Autonomous Body of the Ministry of Environment, Forests & Climate change, Govt. of India)
डाकघर आर.एफ.आर.सी. मण्डला रोड, / P.O. R.F.R.C., Mandla Road, जबलपुर/ Jabalpur-482021
दूरभाष /Telephone: 0761-2840483 फैक्स /Fax: 0761-2840484. 4044002

परिपत्र

संघ की राजभाषा नीति के अनुपालनार्थ, सहायक महानिदेशक, मीडिया एवं विस्तार प्रभाग, विस्तार निदेशालय, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् देहरादून द्वारा जारी निदेश पत्रांक 8-2(1)/2012/स.म.नि.(मी व वि)/भा.वा.अ.शि.प./रा.का.स./160 दिनांक 25 मई, 2015 के अनुसरण में, निदेशक महोदय टी0एफ0आर0आई0, जबलपुर की अध्यक्षता में गठित विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की जनवरी-मार्च, 2016 तिमाही बैठक दिनांक 15/03/2016 को अपराह्न 3.00 बजे निदेशक महोदय के बैठक कक्ष में आयोजित होगी ।

अतः समिति के समस्त सदस्य अधिकारियों से अनुरोध है कि, कृपया समिति की बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का श्रम करें । यदि कोई सदस्य अधिकारी बैठक के समय/दिवस पर कार्यालयिन दौरे या अवकाश पर होने की स्थिति में अपनी ओर से अपने प्रभाग/अनुभाग के एक प्रतिनिधि को बैठक में उपस्थित होने हेतु मनोनीत करने का श्रम करें ।

यह परिपत्र निदेशक एवं अध्यक्ष महोदय राजभाषा कार्यान्वयन समिति टी0एफ0आर0आई0 के अनुमोदन से जारी किया है ।

पी. सुब्रमण्यम
(पी0 सुब्रमणयम्)
भा.व.से.
कार्यालय प्रमुख,
टी.एफ.आर.आई.,जबलपुर

बैठक की कार्यसूची

1. पिछली बैठक में लिये गये निर्णय एवं उन पर की गई अनुवर्ति कार्रवाई की समीक्षा ।
2. टी.एफ.आर.आई., जबलपुर में राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की स्थिति की समीक्षा ।
3. सहायक महानिदेशक, मीडिया एवं विस्तार प्रभाग, विस्तार निदेशालय, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद्, देहरादून से प्राप्त पत्र (**सं. 8-9/2012/स.म.नि.(मी.व वि)/भा.वा.अ.शि.प./राजभाषा विविध/92 दिनांक 24 फरवरी**, 2016) तथा संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली से प्राप्त कार्यालय ज्ञापन के संबंधित बिन्दुओ पर टी.एफ.आर.आई. स्तर पर की गई कार्रवाई की समीक्ष तथा शेष बिन्दुओं पर की जाने वाली कार्रवाई पर विचार-विमर्श एवं सुझाव ।
4. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य मद यदि कोई हो तो ।

प्रतिलिपियाँ :-

1. सहायक महानिदेशक, (मी व वि)/भा.वा.अ.शि.प. देहरादून -248006 को पत्र **सं. 8-9/2012/स.म.नि.(मी.व वि)/भा.वा.अ.शि.प./राजभाषा विविध/92 दिनांक 24 फरवरी**, 2016 के संदर्भान्तर्गत सूचनार्थ ।
2. समिति के समस्त सदस्य अधिकारी वर्ग को बैठक में उपस्थित रहने हेतु सूचनार्थ ।
3. प्रभारी, आई.टी. कक्ष, टी.एफ.आर.आई. को संस्थान में निदेशक महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठकों की सचित्र सूचना प्राथमिकता के आधार पर वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु सूचनार्थ । 4. निदेशक के निजी सचिव, टी.एफ.आर.आई. के सूचना एवं निदेशक महोदय के समक्ष अवलोनार्थ प्रस्तुत करने हेतु । 5. श्री सुनिल कुमार झारिया, आर. ए. -। को राजभाषा हिन्दी गतिविधियों के कार्यक्रम/बैठक की फोटोग्राफी प्रबंधन करने हेतु **उचित माध्यम से सूचनार्थ ।**

Dr. Rajesh plz do needful

टी.एफ.आर.आई. में दिनांक 21/12/2015 को आयोजित बैठक

क्रं.सं.	पिछली बैठक में लिये गये निर्णय	लिये गये निर्णयों पर की गई अनुवर्ति कार्रवाई
1	सहायक महानिदेशक, मीडिया एवं विस्तार प्रभाग, विस्तार निदेशालय, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद्, देहरादून द्वारा जारी पत्र के अनुसार टी.एफ.आर.आई. के कुल अनुभागों में 40% अनुभाग जो कि, वाहन अनुभाग, हिन्दी अनुभाग, सेवा अनुभाग, संपदा अनुभाग, पुस्तकालय अनुभाग, सुरक्षा अनुभाग में पदस्थ पदाधिकारियों को संपूर्ण कार्य हिन्दी में करने के लिए विनिर्दिष्ट (Specify) किया जाए ।	इस बिन्दु पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कार्यालय प्रमुख महोदय की ओर से दिनांक 10/02/2016 को आदेश जारी कर संबंधित अनुभाग में पदस्थ कर्मचारियों को सम्पूर्ण कार्य हिन्दी में करने के लिए विनिर्दिष्ट (Specify) किया गया ।
2	राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए । आवश्यक कार्रवाई: टी0एफ0आर0आई0 के समस्त हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी	इस तिमाही के दौरान कार्यालय प्रमुख महोदय, निदेशक महोदय, संपदा अधिकारी, द्वारा सूचना, परिपत्र आदि हिन्दी में जारी कर राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) का शतप्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया गया ।
3	भविष्य में 'क' एवं 'ख' क्षेत्रों से अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर अनिवार्यत: हिन्दी में दिए जाएं । आवश्यक कार्रवाई: टी0एफ0आर0आई0 के समस्त हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी	इस बिन्दु पर तिमाही के दौरान हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी द्वारा आवश्यक कार्रवाई की गयी ।
6	संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की अगली तिमाही बैठक तय अवधि में आयोजित की जाए । आवश्यक कार्रवाई : टी0एफ0आर0आई0 के अवर सचिव एवं हिन्दी अधिकारी	दिनांक 15/03/ 2016 को बैठक का आयोजन किया जा रहा है ।

विजय कुमार
हि.अ. 10/3